`क िलए समय तय कर�

ऑ��ेिलया पो�् ग्रुप (**समूह**) ने एक ��िस�ोअर हॉिटइन स्थालपत की है, तालक कायथिब प्रलतभािलयों को *जनलहत प्रकटीकरण अिलिनयम 2013* (**पीआईडी अिलिलयम**), *लिनम अिलिनयम 2001* (रा�� म��) (**िलगम अिलिलयम**),या *कराििान प्रशासन अिलिनयम* 1953 (रा�� म��) (**कराििािि प्रशाििस अिलिलयम**)के अनुसार िििों भीर प्रकृ लेलकअनैलतक, िििैर-कानूनी या िििित आचरण का प्रकटीकरण करने म� स�म बनाया जा सके ।

यिल आप एक वतयमान या पूवय कायथिब प्रलतभािििी ह�, तो आप इस प्रकार से प्रकटीकरण कर सकते/सकती ह�:

- समूहके कमयचारी;
- एपीजी को सामान या सेवाऐं िप्रान करने वाििि अनुबोंििक (वैतलनक या अवैतलनक);
- समूह को सामान या सेवाऐं िप्रान करने वाििे अनुबोंििक का कमयचारी या उप-अनुबोंििक;
- समूहके िििइस�स-प्रा� पो�् ऑिलस का िििइस�सी;
- समूहके िििइस�स-प्रा� पो�् ऑिलस का कमयचारी;
- समूह का अिलकारी या सहकमी; अथवा
- उपरो� म� से लकसी भी ��� का सोंबोंििी या पररजन;

और

- आपकी लचोंता लकसी ग्राहक की लशकायत से सोंबोंििलत नहीोंं है;
- आपकी लचोंता कायय से सोंबोंििलत लकसी लनजी मािमे से जुड़ी नहीोंं है;
- आपके पास समूहके अोंििर या समूह से जुड़े लकसी ��� �ारा िििों भीर प्रकृ लेलकअनैलतक, िििै र-कानूनी या िििित आचरण लकए जाने का सोंििे ह करनक िलए उलचत िआार ह�।

ग्राहक ोकी लशकायत�

जो ग्राहक लशकायत जमा करना चाहते ह� या लज�� समूह की सेवाओंक बारे म�लचोंताऐं ह�, उ�� डाक, ईमेिि, 13 76 78 पर िििोनके मा�म से अथवा ऑनाइन https://auspost.com.au/about-us/corporate-information/complaints-and-feedback#letter पर ग्राहक सोंपकयक�द्र से सोंपकय करना चालहए।

��िस�ोअर मािनोंडों को पूरा नहीोंं करने वाििी िलतलविलके प्रकारों म�इन मािमों से सोंबोंििलत लशकायत� शालिम ह�:

- डाक या पासियों की लिडीवरी;
- ऑ��ेिलया पो�् सुलिवा पर डाक या सेवा प्रा� करना; अथवा
- ग्राहकों या सामा� जनता �ारा िििेखा िया ऑ��ेिलया पो�् �्ािि का �वहार, जैसे डरािइलवोंिि से सोंबोंलिअपराििोंं की ररपोलिटंिि।

समूह की प्राथलमकता यह है लक सभी ग्राहक लशकायतों को समलपयत ग्राहक सोंपकय टीम चैिनों का उपयोिि करके जमा लकया जाए, लकों तु यिल कोई लशकायत ��िस�ोअर मा�म से की जाती है, तो काययवाहीके िलए लशकायत को सोंबोंििलत टीमकेपास भेजा सोंचार कैिाजाएिए।

काम से जुडे िलजी माि मे

बारे म� लचोंताएें:

- समूहके साथ लकसी ���के वतयमान या पूवय रोि जार से सोंबोंिलत ����त मािमा;
- लकसी ���-लवशेषके साथ �����त �प से सोंबोंिलत अनुलचत �वहार, जैसे भेि भाव, उ�ीड़न या िमकाना (ब्लक लक ऐसे कायय प्रकटीकरण करनक प्रलतशोि के �प म� न हों); अथवा
- ि ुराचारके ऐसे अ� मािमे, जो ि ोंभीर और प्रणाि ीि त नहीों है, अथवा समूहके िलए लजनके �ापक आशय नहीों ह�,

उनके बारे म�ररपोलिटंि प्रासोंिलक नीलतके तहत की जानी चालहए, लजसके तहत इनका प्रबोंि न अिलक उपयु� �प से लकया जा सकता है।

- लकसी िलए एचडीबी हॉि टाइन से HDBMatters@auspost.com.au पर सोंपकय कर� या 1300 116 947 पर कॉि कर�;
- कायय से सोंबोंिलत अ� ����त मािमों को अपने मानव सोंसाि न प्रलतलनिि या जन अग्रणीक प्रलत सोंि लभयत कर�।

लचोंताओंक बारे म�मािमे प्रा� होते ह�, तो हम इ�� प्रबोंि नके िलए एपीजीके अोंि र प्रासोंिलक समूह को सोंि लभयत कर�ि ।

सोंरलित प्रकटीकरण �ा ह ता है?

यिल कोई काययिब भािीि ार, या लकसी अ� एज�सी का कोई सावयजलनक अिलकारी यथोलचत �प से ि ोंभीर प्रकृ लत की ि ि ती, ि ुराचार या अनुलचत �स्थलते क मािमे या परर�स्थलतयों का सोंि ेह करता है, तो प्रकटीकरण को एक जनलहत प्रकटीकरण या ��ि स�ोअर प्रकटीकरणके �प म� सोंरल�त लकया जा सकता है। इसम� शालिम ह�:

- इस प्रकार का आचरण या प्रथाएँ, जो ऑ��ेिलिया या लिवेशके लकसी कानून, लवलनयमन या सोंलहता का उ�ोंघन हो सकता है (जैसे चोरी, मािक-ि पाथों की लबक्री या उपयोि, आपराि लक �लत आिल);
- भ्र�ुाचार या िोखाि ड़ी यु� आचरण (जैसे िन का ि ुवलनयोजन, रर�तखोरी, अनुलचत प्रभाव, झूठी या भ्रामक जानकारी आिल);
- ऑ��ेिलिया पो�क सोंसाि नों काकुप्रशासन या ि ोंभीर �प सक प्रबोंि न या बबािी (जैसे कायय�स्थ �ारा उिप� कराए ि ोन का अ�िलक लनजी उपयोि, लनजी वाहनोंक समूहकेसोंसाि नों/जानकारी का उपयोि आिल); िलए ईंि न काडय का अनिलकृ त उपयोि, ����त ि ाभके िलए
- �ा� या सुर�ाके िलए पयाय� खतरे वाि ा अथवा पयायवरण या जनताके िलए अ�िलक खतरे वाि ा आचरण;
- मानवाि लकार मानकों का सोंभालवत उ�ोंघन करने वाि ा आचरण;
- समूह को ि ोंभीर प्रकृ लत का लव�ीय या िैर-लव�ीय नुकसान पहोंचा सकने वाि ा आचरण, अथवा इसकी प्रलत�ा और ब्ांड को हालन पहोंचा सकने वाि ा आचरण, या जो अ�था लव�ीय प्रणाि ीके िलए खतरा पैि ा कर सकता है; अथवा
- हमारी नैलतकता का ि ोंभीर उ�ोंघन।

��ि स� अर प्रकटीकरणकैसे कर�

यिल आप ऑ��ेिलिया पो�् समूहके वतयमान या भूतपूवय काययिब भािीि ार ह� या लकसी अ� एज�सीके सावयजलनक अिलकारी ह� और आप ि ोंभीर प्रकृ लत की ि ि ती, ि ुराचार या अनुलचत �स्थलतके मािमे या परर�स्थलतयों का सोंि ेह होनक बारे म�

ररपोटय करना
चाहते/चाहती ह�, तो **��िस� अर हॉिटािइ**के मा�म से **1800 799 353 (ऑ��ेिलया)** या **+61 3 8603 5364 (िलदेश)**ष
प्रकटीकरण जमा लकया जा सकता है ।

��िस�ोअर हॉिटाइन का प्रबोंिन एक बाहरी िप्राता �ारा लकया जाता है, जो आपकी लचोंताओं को ऑ��ेिलया पो�्ूक्षालिकृ त अिलकारीके प्रलत लिनेलशत करेंा।

यिल आपका प्रकटीकरण लिनम अिललनयम (Corporations Act) या करािोोान प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act) `केतहत एक पीआईडी या प्रकटीकरण है (या ऐसा माना जाता है), तो हमारे बाहरी िप्राता �ारा इसे प्रा� लकए जाने पर इसका प्रबोंिोन प्रासोंिलक ��िस�ोअर कानूनके अनुसार लकया जािए, जैसालक नीचे बताया िोया है।

इसके लवक� क �प म� आप [ऑ े िलया पोस ोो ट ोो ग्रुप िस ोअर पोटिये](#) क मा�म से ऑ��ेिलया पो�् ग्रुप प्रािलकृ त लकसीिोो सोंपकय कर सकते/सकती ह�

�ोा जािोकारी शालिम कर�

ऑ��ेिलया पो�् समूह को काययवाहीके िलए सबसे अ�ोा मािोय लिनायररत करने म� सहायता लिम सके :

- अपना नाम और सोंपकय लववरण (इसकी िसाह िोोी जाती है, िोो लकन िोोु मनाम �प से प्रकटीकरण भी लकए जा सकते ह�);
- िोोत कायय की प्रकृ लत;
- उस ��� का लववरण, आपके लवचार म� लजसने िोोोत कायय लकया है (यिल यह ��� एक अनुबोंिलत सेवा िप्राता है, तो िप्राता का लववरण और स्थान);
- िोोत कायय कब और कहाों हआ था;
- िोोत काययके आस-पास कोई भी प्रासोंिलक घटनाएँ;
- कोई अ� ���, जो आपकी जानकारी म� िोोोत कायय म� शालिम था;
- कोई अ� ���, जो िोोावोों को स�ालपत कर सकता है;
- यिल आपने िोोोत कायय पर प्रलतलक्रया करते हएु कछ लकया है;
- यिल आप सोंभालवत प्रलतशोिोके बारे म� लचोंलतत ह�;
- कोई अ� सहायक जानकारी (जैसे िोो�ावेज, िोोािोइ नोट्स)।

उिप� कराई िोई जानकारी ��् और त�ो�क होनी चालहए। अनुमानोों, ����त आक्रमणोों और भावुक भाषा का प्रयोिोनकरने की कोलशश कर�।

आपके प्रकटीकरणे क साथ ��हार

अिललनयम (PID Act)के तहत जनलहत प्रकटीकरण अथवा लिनम अिललनयम (Corporations Act) या करािोोान प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act)के तहत ��िस�ोअर प्रकटीकरणके �प म� सोंरल�त लकया जा सकता है।

आपके प्रकटीकरण को अ�ेषक को स ोोंपे जानक लकसी भी लनणययके बारे म�आपको सूलचत लकया जािए और आपको यह तय करने का अवसर िलया जािए लक �ो आप अपनी पहचान िोआो अ�ेषक को िलया जाना चाहते/चाहती ह�। यिल आप अपनी पहचान अ�ेषक को नहीोों िलया जाना चाहते/चाहती ह�, तो इसकी वजह से आपकी लचोंताओों की जाोंच करने की उनकी �मता पर प्रभाव पड़ सकता है।

यिल प्रकटीकरण पीआईडी अिललनयम (PID Act)के तहत जनलहत प्रकटीकरण अथवा लिनम अिललनयम (Corporations Act) या करािोोान प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act)के तहत ��िस�ोअर प्रकटीकरण की आव�कताओों को पूरा नहीोों करता है, िोोलकन लकसी अ� नीलतके तहत इसपर लवचार लकया जा सकता है, तो ��िस�ोअर टीम इस मािोमे पर लवचार करने और

माि‍मे की िआे जोंच करनके िलए इसे उपयु� टीमके प्रलत सोंििलभयत करे िििी (जहों उलचत हो)।

पीआईडी अिलिलयम (PID Act), िलगम अिलिलयम (Corporations Act) या करािााि प्रशािस अिलिलयम (Taxation Administration Act)के तहत सों�रण

यिल आपके मािमे को पीआईडी अिललनयम (PID Act)के तहत एक जनलहत प्रकटीकरण अथवा लिनम अिललनयम (Corporations Act) या कराििान प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act)के तहत एक ��िस�ोअर प्रकटीकरण मान िलया जाता है, तो आपके िलए लन�िल�खत अिलकार ििािि़ होते ह�:

- आपके प्रकटीकरणके साथ िाोपनीय और सामलयक �प से �वहार लकया जािए,
- आपको सोंरल�त प्रकटीकरण करनके सोंबोंिि म� नािरिरक, आपरािलक और प्रशासलनक िालयोों से प्रलतर�ण प्रा� है।
- आपके पीआईडी क िआार पर आपको अपने लव�� प्रवतयन या िाििि़ लकए जा रहे सोंलिवा�क कायों से प्रलतर�ण प्रा� है।
- आपको प्रकटीकरण करने या प्रकटीकरण करने का सोंिोे ह लकए जाने पर आपके लव�� हालन या प्रलतशोिि से प्रलतर�ण प्रा� है।

लकसी भी अ�ेषण को अोों लतम �प िलए जानके बािि भी ये सुर�ाएँ और प्रलतर�ण िािििि़ रहते ह�।

लकों तु यिल आप जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रकटीकरण करते/करती ह�, अथवा यिल आपके प्रकटीकरणके पररणाम��प आपके खुििके ििित कायय पहचान म�आते ह�, तो ��िस�ोअर कानून इनके पररणामोों से आपकी र�ा नहीोंकर�िोे।

आपकी लज�ेदाररयाों

पीआईडी अिललनयम (PID Act) , लिनम अिललनयम (Corporations Act) या कराििान प्रशासन अिललनयम (Taxation िलए लन�िल�खत लज�ेिािररयाों िाििि़

- जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी की सूचना न िोेों।
- अपने प्रकटीकरणके बारे म� लवचारशीिि बने रह� और प्रलक्रयाके िि रान िाोपनीयता बनाए रख�।
- जाोंचके िि रान आव�कतानुसार उलचत सहायता िप्रान कर�।
- यिल आपको अपने प्रकटीकरणके सोंबोंिि म�लक�ीोों सम�ाओों या सोंभालवत प्रलतशोिि का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने सुपरवाइज़र, प्रािलकृ त अिलकारी/यो�तापात्र प्रा�कताय या ��िस�ोअर टीम को सचेत कर�।
- यिल आपको आव�कता हो, तो समुलचत समथयन प्रा� कर�।
- यिल आपको आव�कता हो, तो प्रलक्रया और अपने अिलकारोों तथा लज�ेिाररयोोंके बारे म� �तोंत्र कानूनी िसाह िोे ों।

गुिमाम प्रकटीकरण

प्रकटीकरण करते समय आप अपनी पहचान का खुिाासा करने या िाु मनाम �प से प्रकटीकरण करने का लवक� चुन सकते/सकती ह�।

लकों तु िाु मनाम रहने के कुछ परर�स्थलतयोों म� ऑ��ेिलया पो� के िलए आपके प्रकटीकरण की जाोंच कर पाना कलठन, या यहाँ तक अ�वहाररक भी हो सकता है।कृपया इस बात का �ान भी रख� लक यिल आप िाु मनाम रहने का चयन करते/करती ह� और सोंपकय का मा�म िप्रान नहीोों करते/करती ह�, तो प्रलक्रयाके िि रान ऑ��ेिलया पो�के िलए आपके साथ सोंवािि कर पाना कलठन होिाा।

आगे की जानकारी

पीआईडी अधिनियम: जनहित प्रकटीकरण - राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman)

NACC Act: https://www.nacc.gov.au/about-nacc/overview

निगम अधिनियम: https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/whistleblowing/

कराधान प्रशासन अधिनियम: https://www.ato.gov.au/general/gen/whistleblowers/